लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **इन्द्रजीत सिंह,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/65/2018 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 03.08.2018

श्री गौरव परमार, एडवोकेट निवासी च–1,कुम्भानगर, हाउसिंग बोर्ड, चित्तौड़गढ़

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

निर्णय

दिनांक **24.08.2018**

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 12.06.2018 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 65/2018/(24.08)/778 दिनांक 06.08.2018 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 24.08.2018 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 24.08.2018 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्रांक / एडीएम / पीए / लोसूअ / 2018 / 665 दिनांक 21.08.2018 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार है:–

1. यह है कि प्रार्थी श्री गौरव परमार, निवासी च–1, कुम्भानगर, हा. बोर्ड, चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 12.06.2018 को प्रस्तुत किया जो इस कार्यालय में दिनांक 14.06.2018 को प्राप्त होना सही है।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही जा रही सूचना के सभी बिन्दु उपखण्ड कार्यालय, चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने से प्रार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र इस कार्यालय द्वारा पत्रांक / एडीएम / पीए / लोसूअ / 2018 / 1887 दिनांक 05.07.2018 से सहायक लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), चित्तौड़गढ़ को भिजवाया गया है। (पत्र की छायाप्रति संलग्न है।)
3. यह कि प्रार्थी को सूचना के संबंध में जानकारी उपलब्ध करा दी जाने से अब कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः प्रस्तुत प्रथम अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक / एडीएम / पीए / लोसूअ / 2018 / 665 दिनांक 21.08.2018 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नक का अवलोकन कर उस पर मनन किया। यहां यह उल्लेखनीय है कि राजस्व विभाग के लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ को नियुक्त किया हुआ है जबकि उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ सहायक लोक सूचना अधिकारी हैं तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी से सूचना संकलित कर प्रार्थी को उपलब्ध कराने का दायित्व लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ का है।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 65 / 2018 (सू.अ.)
श्री गौरव परमार निवासी चित्तौड़गढ़ बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अति. कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़

आवेदक द्वारा वांछित सूचनाऐं, उसे आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक से 30 दिवस की निर्धारित अवधि के भीतर नियमानुसार प्रतिलिपि शुल्क प्राप्त कर उपलब्ध करवाई जाने का प्रावधान है। इसके लिये आवेदक द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन, संबंधित अधिकारी तक पहुंचाकर सूचना प्राप्त कर, आवेदक को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी लोक सूचना अधिकारी की बनती है। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त कर अपीलार्थी को उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते हैं की वह सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ से सूचना प्राप्त कर अपीलार्थी को 15 दिवस में निः शुल्क उपलब्ध करावें।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(इन्द्रजीत सिंह)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र. / सरिश्ता / प्र.सं. / 65 / 2018(सू.अ.) / 845 दिनांकः– 27 / 8 / 2018

प्रतिलिपिः–

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्री गौरव परमार, एडवोकेट, निवासी च–1, कुम्भानगर, हाउसिंग बोर्ड, चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज.)